

way or not. (Interruptions) That should satisfy both the parties. (Interruptions)

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Mr. Chairman, Sir, just one minute. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That should satisfy the Members, I think.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान्, मेरी बात सुन लीजिए । मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । सीताराम केसरी जी ने कहा है कि अखबारों के आधार पर बम करके कोई बात नहीं माननी चाहिए । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बयान अखबारों ने दिया है, क्या वह सरासर झूठ है कि सत्य है ? . . . (Interruptions) अगर वह सत्य है, तो हमारा कहना भी सत्य है । . . . (Interruptions) तर्क संगत बात से घबराना नहीं चाहिए . . . (Interruptions) प्रधान मंत्री जी जो बयान दें . . . (Interruptions) सारा बयान सुनना चाहिए . . . (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go to the next item, that is, the Calling-Attention Motion. Yes, Mr. Satya Pal Malik. Please stand up.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Acquisition by the Delhi Administration of the Entire Land of the Villages of Tughlakabad, Tigri, Deoli, Khanpur, Said-ul-Jaib, Neb Sarai, Hauz Rani and Khirki owned by Small Peasants.

श्री सत्य पाल मलिक (उत्तर प्रदेश): मैं निर्माण तथा आवास मंत्री जी का ध्यान तुगलकाबाद, तिगड़ी, देवली, खान-

पुर, सईद-उल-अजायब, नेब सराय, हौज रानी और खिड़की गांवों में छोटे किसानों की सम्पूर्ण भूमि को दिल्ली प्रशासन द्वारा अजित किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, Under the Master Plan of Delhi which was prepared in late fifties and which came into effect w.e.t. 1-9-1962, the urbanisable area upto 1981 covered about 1,10,500 acres. The Master Plan had a perspective period of 20 years. It envisaged to accommodate a population of about 45 lakhs which was later on revised to about 53 lakhs through redensification. The present population of the urban area is estimated to be about 58 lakhs and as per population projections worked out by the perspective planning wing of the DDA, urban population of Delhi is likely to be of the order of 1.22 lakhs in the year 2001, which is about double of the present population.

Although there is an attempt to decentralise some of the activities to the small and medium towns in the adjoining States of Haryana, U.P. and Rajasthan, considerable population pressure would, however, continue to be felt in Delhi.

Necessary exercise for the preparation of the Second Development Plan for Delhi has already been started by the DDA with a view to cater to the needs of the projected population. In the intervening period of formulation of this plan and its approval by the Parliament, large scale transactions of land would take place and going by the previous experience, such transactions, if not checked, would make the implementation of the new plan difficult. Hence, it is absolutely necessary to take timely steps for preserving the land for this purpose.

Accordingly, the Delhi Administration has issued two Notifications in respect of South Delhi under Section

[Shri Bhishma Narain Singh.] 4 of the Land Acquisition Act, 1894 on 5-11-1980 and 25-11-1980, to the effect that whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that the land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz., for the planned development of Delhi, the entire land in the revenue States of the following villages is notified under the said Section 4:—

- (i) Notification dated 5-11-1980, Tughlakabad, Tigri, Deoli, Khanpur, Said-ul-Ajaib, Neb Sarai, Hauz Rani and Khirki,
- (ii) Notification dated 25-11-1980: Chhatarpur, Sathbari, Maidan-garhi, Shayoorpur and Rajpur Khurd.

The above notifications, however, exclude the following land in the revenue estates of the villages stated above:—

- (a) Government land;
- (b) The land already notified either under section 4 or under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894; and
- (c) The land in respect of which building plans were sanctioned by the M.C.D. before 5th November, 1980.

After receipt of objections from the interested parties under section 5A of the Act and a report from the Land Acquisition Collector concerned, decision for acquisition of specific areas shall thereafter be taken and notification under section 6 of the Act issued accordingly.

As regards village abadis necessary action would be taken after the objections are filed and considered under section 5(A) of the Act. The area now notified is outside the urbanisable limits of the present Master Plan.

श्री सत्यपाल मलिक : उपसभापति जी, जिन-जिन गांवों में ये जमीनें ली

गई हैं इस का नोटिफिकेशन करते समय सरकार का तर्क है कि हम दिल्ली में जमीनों की जो रैकेटियरिंग हो रही है उस को रोकना चाहते हैं। मैं प्रश्न करने से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे डी० डी० ए० की टोटल फंक्शनलिंग पर इस हाउस में कभी डिबेट कराये या संसद की कोई कमेटी अपोइंट करें। वह पाएंगे कि इस दिल्ली में जमीनों का सब से ज्यादा रैकेटियर डी० डी० ए० है और बाकी लोग दूसरे नम्बर के हैं। लेकिन इस वक्त मैं इस मामले में ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। आज की बहस में मेरा सिर्फ मकसद यह है कि मैं सवाल करने से पहले माननीय मंत्री जी को यह बता दूं कि दिल्ली का विकास करने वाले लोग दिल्ली के देहातों के साथ किस प्रकार का सलूक कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जो जमीन ली गयी उस पर हम को एतराज नहीं, हमारा एतराज यह है कि दिल्ली में 300 गांव हैं, एक तिहाई गांव अर्बनाइज्ड हैं, जो शहर के बीच में आ गये हैं वे अर्बनाइज्ड गांव हो जाते हैं, उन गांवों की जो आज से 33 साल पहले आबादी थी उस से दुगुनी, त्रिगुनी हो गयी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का लालडोरा एक्ट उन के गांव की सीमा निर्धारित करता है कि इस से ज्यादा उन की आबादी नहीं बढ़ पाये। उन गांवों की न्याय पंचायतों की जो जमीनें थी वे केन्द्र सरकार के पास चली गयीं। उस का कोई मुआवजा न्याय पंचायत को नहीं मिला ताकि उन गांवों का विकास हो सकता। आप चिराग दिल्ली गांव को ही देखिए। उस के चारों तरफ दिल्ली की शानदार कालोनियां हैं और चिराग दिल्ली शाम को अगर मंत्री महोदय चले जायें तो पायेंगे कि उस गांव की मां और बहनें आज भी सड़क के ऊपर बैठकर

शौच करती हैं। इस से ज्यादा शर्मनाक बात डी. डी. ए. के लिए हो नहीं सकती। उन गांवों में न बेहतर पानी का इस्तजाम है, न सफाई है, न बाथरूम है, न सीवेज है, न डिस्पेंसरी है। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट उन देहातों का नहीं किया गया। दिल्ली के देहातों के साथ सरकार का सलूक वैसा है जैसे कोई हमलावर आता है और कहता है कि यह इलाका हम ने जीत लिया, खाली करिए, बाहर जाइए। इस तरह का सलूक है उन इलाकों के साथ। आप ने जितनी लैंड एक्वायर की थी नवम्बर 59 में आज भी उस में 30 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है बिना किसी इस्तेमाल के। इस लिए आप का यह तर्क कि दिल्ली के विकास के लिए उस जमीन को लेने की जरूरत थी बिल्कुल खोखला है। इस के अलावा जो हमारा सब से बड़ा एतराज है वह यह है कि जिस वक्त आप टैक्स लगाते हैं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, मनमाना टैक्स लगाते हैं, पचास किस्म के टैक्स जमीनों पर हैं, लेकिन मुआवजा जब होता है तो उस मुआवजे को तय करने की कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, बहुत पेट्री रेवेन्यू आफ्फिशियल मुआवजा तय करते हैं। उस में किसान दर-ब-दर घूमता है, सुनवाई नहीं होती। मुआवजा जिस तरह से दिया गया है उस के दो आंकड़े माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूँ। उस से आप को पता चलेगा कि कितना जुल्म यहां के किसानों के साथ होता है। शाहदरे के इलाके में जो मुआवजा दे कर जमीन ली गयी वह 25 पैसे से 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर दिया गया। वहां उस वक्त बाजार का दाम था 30 से 40 रुपया स्क्वायर मीटर और डी. डी. ए. ने उन जमीनों को बेचा 400-500 स्क्वायर मीटर। डेवलपमेंट

का खर्चा आप काटें तो वह 30-40 रुपये पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं आता। उस को काटने में हम को एतराज नहीं होगा। साउथ दिल्ली में मुआवजा दिया गया 2 से 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर जब बाजार भाव था 50 से 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर और डी. डी. ए. ने 400-500 तक बेचा और अब एक हजार रुपये पर स्क्वायर मीटर उन आवादियों की जमीनें जा रही हैं। नवम्बर में मैंने एक वयान पड़ा था भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के अध्यक्ष का कि 90 करोड़ रुपया आज भी मुआवजे का दिल्ली के किसानों का सरकार के ऊपर बकाया है। हाई कोर्ट में सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। जो मुआवजा दिया जाता है उस मुआवजे को आप किसानों में देते हैं। किसान कोई धन्या नहीं जानता। आप खुद किसान हैं, माननीय मंत्री जी किसान हैं। खेती-पेशा आदमी रुपये का इस्तेमाल नहीं जानता। उस को रुपया आप इकट्ठा नहीं देते ताकि वह कोई काम कर सकता। टुकड़े-टुकड़े में रुपया देते हैं, जो रुपया उस का बर्बाद हो जाता है। सारा रुपया इकट्ठा दें तो वह कोई काम कर सकता है। लेकिन अक्सर वह काम जानता भी नहीं है क्योंकि गांव का आदमी है। उस को आप अलग-अलग रुपया देते हैं और उस पर 6 रुपया सैकड़े का ब्याज देते हैं। मेरी आपत्ति यह है कि जिन लोगों को आप उजाड़ते हैं उन लोगों के बच्चों को आप कोई आल्टरनेटिव जॉब नहीं देते हैं। उसी इलाके में जो दुकानें बनती हैं उन दुकानों को आवंटित नहीं करते। उस इलाके में जो जमीनें ली गयी हैं उन में जो एक्टिविटीज होती हैं उन में उन जमीन वालों के बच्चों की कोई शिरकत नहीं होती। इस के अलावा उस जमीन से जुड़े हुए हैं, नाई, तेली, कुम्हार, कहार,

[श्री सत्यपाल मलिक]

पचीसों धन्धों के लोग—वे सारे लोग भी आहिस्ता-आहिस्ता बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के जिन देहातों की जमीनें ली गयी हैं या ली जाने वाली हैं उन को मुआवजा जो बाजार का दाम है उस के आधार पर मिले, मुआवजा इकट्ठा मिले, मुआवजे में देर हो तो जो बैंक की व्याज की दर है उस दर पर मिले, उन के बच्चों को बसाने का और आल्टरनेटिव धन्धे देने का इन्तजाम होना चाहिए। मेरी आपत्ति यह भी है कि इतना रेकलेस बिहेवियर है कि भट्टे के ठेकेदारों के लिए आप ने दिसम्बर, 78 में जमीनें लीं, भट्टा लगाने के लिए हरी-भरी उपजाऊ जमीनें किसानों की ले ली गयीं। जिन इलाकों में जमीनें ली गयीं वहाँ पर बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउसेज हैं, शानदार लोगों के फार्म हाउसेज हैं। मैं जब इस जमीन के लेने का विरोध कर रहा हूँ तो जो फार्म हाउस बना रहे हैं उन के समर्थन में नहीं बोल रहा। कोई बड़े लोगों के फार्म हाउसेज नहीं बनने देने चाहिए इस इलाके में क्योंकि इसी को देख कर सेलरीड आदमी ललचाता है, बेईमानी करता है। लेकिन बैठी हैं माननीय सदस्या, मुझे माफ करेंगी महारानी पटियाला, उन का फार्म ले लिया जाना चाहिए, मिसेज इन्दिरा गांधी का फार्म छतरपुर में है वह ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं लिये गये। डालमिया का फार्म है, ओबेराय का फार्म है, और ऐसे ही जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उन की जमीन पहले ली जानी चाहिए थी। मामूली आदमी तो असहाय है। उस की जमीन आप लेते हैं और उन बड़े आदमियों की जमीन आप लेते नहीं। एक ग्रन्सल विल्डर्स हैं, एक पोद्दार विल्डर्स हैं, उन के जो बड़े फार्मस हैं उन पर कोई हमला नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह

से मामूली किसान की जमीन को ले कर उस को मंहगे दाम पर बचा जा रहा है उस हिसाब से किसी अच्छे और ईमानदार आदमी के जिन्दा रहने के काबिल यह नगरी नहीं रह पायेगी। यह तो कालाबाजारियों और दलालों का शहर बन जायगा और इस को रोकने के लिये आप को कुछ करना चाहिए। जो आप की टोटल अरबना-इजेशन की पालिसी है जिस में साधारण लोगों को आप सस्ते मकान बना कर देना चाहते हैं उस में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस की जमीन आप ले रहे हैं उन को आल्टरनेटिव आकूपेशन आप देने की व्यवस्था करे।...

श्री उपसभापति : आप को दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक : अंत में मैं तीन प्रश्न मंत्री महोदय से करना चाहता हूँ। जो तकलीफ मैं ने उन लोगों की देखी है उसे मैंने आप के सामने निवेदन कर दिया मुद्दतसर में और उस के बाद मैं तीन प्रश्न आप से करना चाहता हूँ और मैं आप का उनके लिये एक्जोरेंस चाहता हूँ कि आप जो जमीनें लेने जा रहे हैं उन का मुआवजा जो आज उस का बाजार भाव है उस के हिसाब से उन किसानों को देंगे ? और क्या वह मुआवजा एक साथ देंगे और मुआवजे की दर तय करने के लिये अगर लैंड एक्वीजीशन एक्ट 1894 या 98 का जो है उस में तरमीम की गुंजाइश हो तो वह करने के लिये तैयार होंगे ? जो लाल डोरा की सीमायें हैं जिन के चलते बढ़ती हुई आवादी के लिये कोई इंतजाम नहीं है उस सीमा को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वह गांव से बाहर बस सकें और उन गांवों के स्कूल और दूसरी एक्टिविटीज के लिये आप कुछ जमीन प्रोवाइड करेंगे ?

नम्बर 3, क्या उन गांवों के विकास के लिये कोई इंटिग्रेटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट

बनायेगी और चौथे जितनी बड़ी आलीशान कोठियाँ और फार्म हाउसेज हैं क्या आप उनको भी टेकओवर करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर, मैं सम्माननीय सदस्य श्री सत्यपाल मलिक जी के विचार का और जो उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से प्रश्न उठाया है उसका आदर करता हूँ और मैं उन की बात को ध्यान से सुन रहा था। मैं भी किसान हूँ और वह भी किसान है, इस में कोई दो रायें नहीं हैं और किसानों को सुविधा मिले, उनको ज्यादा सहूलियत हो इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह जो सवाल है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं इसके संबंध में मैंने अपने उत्तर में व्यापक रूप से बताने की चेष्टा की है और मुझे इस बात से खुशी है कि आप को इस बात से एतराज नहीं है कि लैंड एक्वीजिशन किया जाय। आपने प्रारम्भ में ही कहा है कि लैंड एक्वीजिशन हो, उसमें आप को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके मुआवजे से संबंधित आपकी आपत्तियाँ हैं। आप जानते हैं कि मुआवजे का निर्धारण लैंड एक्वीजिशन कलेक्टर करता है। डी.डी.ए. के नोटिफिकेशन के बाद आपत्तियों वगैरह के बारे में मैंने बताया कि अगर अनुचित नोटिफिकेशन हो गया तो उसके सुधार की पूरी गुंजाइश है। उसके बाद लैंड एक्वीजिशन कलेक्टर निर्धारित करता है कि उस लैंड का क्या भाव हो। उसके लिये लैंड एक्वीजिशन एक्ट में प्रोसीजर ले डाउन किया गया है। उसके मुताबिक वह कार्यवाही करते हैं और उसके बाद भी अगर किसी को एतराज होता है कि उसकी जमीन का भाव ठीक नहीं लगाया गया तो वह लोग अपील में जाते हैं और कई स्ट्रेज पर अपील की गुंजाइश है।

इसका जिक्र मैं इस लिये कर रहा हूँ कि कानून में व्यापक व्यवस्था है कि जिस किसान को आपत्ति हो उसकी मुनवाई हो सकेगी और निर्णय हो जायगा। तो जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है वह माध्यम किसानों के लिये खुले हैं और इनके माध्यम से वे अपील कर सकते हैं। फिर आपने बाजार भाव की बात कही। अभी प्रश्नोत्तर काल में उसके लिये आपको चिन्ता थी, सदन को चिन्ता थी, और हम सब को चिन्ता है। यह बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है कि एक तरफ तो जमीन की कीमत ज्यादा बढ़े तो सदन में चिन्ता व्यक्त की जाए, अभी सदन में आपने देखा। दूसरी तरफ हम ज्यादा कीमत न दें तो भी चिन्ता का विषय है। आप सोचिये, कितनी विषम परिस्थिति में सरकार चलती है।

... (Interruptions)

श्री मनुभाई पटेल (गुजरात) : भीषण तो है ही।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह बात ठीक है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जब हम ज्यादा कीमत देंगे, जैसे मार्केट रेट की बात आपने कही तो कीमतें और भी बढ़ेंगी। इस वजह से सारी चीजों को ध्यान में रख कर सरकार को एक बैलेंस व्यू लेना पड़ता है और उस आधार पर जो प्रिंसिपल ले डाउन किये जाते हैं और जिनका कार्यान्वयन लैंड एक्वीजिशन कलेक्टर करता है, उसी के अनुसार जमीन का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें बैलेंस व्यू रखेंगे तभी काम चलेगा।

किसानों के हितों की बात आपने उठाई है, आपका फर्ज भी बनता है। हम लोगों की भी सहानुभूति है। और भी जमीन का दाम बढ़ा दें शहरों की भूमि का तो आप भी पसन्द नहीं करेंगे

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

इसलिए सब सोच समझ कर बैलेंसड व्यू लिया गया है।... (Interruptions)

श्री अब्दुल रहमान शेख (उत्तर प्रदेश) : इस सबका शिकार किसान ही क्यों हो ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं किसानों के हक में खुद भी हूँ। मैं खुद किसान का लड़का हूँ। इसलिए हमने बैलेंसड व्यू लिया है। अभी हाल में जो दाम दिये गये हैं एक्वीजिशन के वह मैं आपको बताऊँ कि 3 हजार एकड़ जमीन का एक्वीजिशन हुआ है जिसके दाम दिये गये हैं 7 करोड़ रुपये। आप ही सोचिये।

श्री लाल कृष्ण झाड़वाणी (गुजरात) : सवाल यह है कि किसानों से किस भाव पर अक्वायर की और किस भाव पर बेची ? आप क्रिमिनल प्राफिटियरिंग करते हैं।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने खुद कहा कि मैं तो किसान का लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसानों को अधिक मिले। लेकिन आप देखिये एक तरफ तो जोरदार मांग अभी हो रही थी कि शहरों में जमीन का दाम न बढ़े। तो सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो काम नहीं चल सकता है। किसानों की हितों की भी रक्षा करनी है, दाम भी नहीं बढ़ने देने हैं। दोनों में हमको संतुलन रखना होगा।

आपने अपने भाषण के क्रम में चिराग गांव के बारे में बताया... (Interruptions)

श्री उप सभापति : गांव के डेवलपमें के बारे में पूछा था।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : चिराग दिल्ली गांव के बारे में आपने पूछा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वहां पर 15 लाख रुपये उस गांव के विकास के लिए सेंक्शन किये गये हैं। वैसे तो सारे गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की नीति रहती है, सारी योजनाएँ बनती हैं चाहे पंचवर्षीय योजना हो और गांवों के विकास के लिए योजनाएँ लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं। वह तो रहती हैं, लेकिन इस गांव के विकास के लिए 15 लाख रुपये दिया गया है।

श्री सुरेंद्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी को बता दूँ कि जो रास्ता था चिराग दिल्ली से आने और जाने का वह भी बन्द कर दिया गया है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसको देखूँगा। जहाँ तक मकानों की बात है, उस एरिया में जिसके भी मकान पड़ते हैं या जमीन लेने की नीति है तो जो कोई भी रास्ते में आते हैं, उनको न तो छोड़ा जाता है, न किसी को जमीन जबरदस्ती ली जाती है। इसमें किसी सम्मानित सदस्य का भी नाम लिया गया। तो किसी सम्मानित सदस्य का सवाल नहीं है, इसमें नियमित काम होता है, जो नियम होता है वही किया जाता है। अगर किसी आदमी को कानून का संरक्षण प्राप्त हो तो उसकी जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं।... (Interruptions)

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम भी लिया।... (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रधान मंत्री जी का नाम बहुत लेते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि प्रधान मंत्री जी की इस इलाके में कोई जमीन नहीं है। इसलिए कभी-कभी जाने या अनजाने में सत्यपाल मलिक जी भी कह देते हैं तो मैं क्या करूँ ? जिन लोगों की गांव में जमीन पड़ती है उनमें प्रधान मंत्री जी की

जमीन नहीं आती। (Interruptions) जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिनके बारे में आपने ध्यान आकर्षित किया है और जिनके बारे में मैंने आपको बताया है वह यह है कि जमीन एक्वायर की गई है उसमें उनकी जमीन नहीं है।

श्री उपसभापति : लाल डोरे के बारे में बता दीजिए।

डा० भाई साहवोर : मंत्री जी, इनकी शिकायत यह है कि ऐसे गांवों को एक्वायर किया गया है जहाँ बड़े लोगों के फार्म नहीं हैं ताकि उनमें वे न आएँ।

(Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : अपने सम्मानित सदस्यों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो प्रश्न करते हैं यानी जिसकी ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है उसके अंदर हमारी सीमाएँ हैं और उसी के अंदर हमें आपको जानकारी देनी है और इसमें वह सब नहीं है जो अब आप पूछ रहे हैं। लाल डोरा गांव के बारे में आपने चर्चा की उसकी इन्फरमेशन मेरे पास नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक : लाल डोरे के बारे में मैंने पूछा था। इसमें ऐसा होता है कि सीमा निर्धारित होती है और उससे आगे उस गांव की आबादी नहीं आती है। अब ऐसा हो रहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है उनके लिये रहने की समस्या है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिये जो एक्ट बना हुआ है उसको आप रिव्यू करना चाहते हैं या नहीं? (Interruptions)

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप देख रहे हैं कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की आबादी भी बढ़ रही है। जो हमारी समस्या है वही गांव की भी समस्या है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है चाहे वह गांव की हो या दिल्ली की हो उसके लिये आवास व्यवस्था किस तरह से की जाए सरकार इसके लिये चिंतित रहती है। दिल्ली में इसीलिये हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं। (Interruptions)

श्री उपसभापति : इनका सवाल यह है कि लाल डोरे के अन्तर्गत जो एरिया आता है उसको आप बढ़ायेंगे या नहीं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह सुझाव है कि एरिया बढ़ाया जाए। मैंने नोट कर लिया है इसको मैं देखूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूँ। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। (Interruptions) मुआवजे के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि इसको कलेक्टर रिव्यू करता है। इसकी क्या दर हो इस बारे में 20-20 साल से मामला हाई कोर्ट में पड़ा है। इसको तय करने के लिये कोई सिद्धांत होना चाहिये। मैं आपके जरिये बताना चाहता हूँ कि गांव की जमीन एक से पांच रुपये स्क्वियर मीटर के हिसाब से ली जाती है लेकिन वह बेची बहुत महंगी जाती है। अगर डेवलपमेंट के 20 परसेंट चार्ज भी लगा लें तो भी बहुत ज्यादा बैठता है। इसलिये मेरा कहना है कि जिस दाम पर वह बेचें उसमें से अपने चार्ज निकाल कर उनको दाम देने चाहिये। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही कानून है। (Interruptions)

श्री उपसभापति : आप कह चुके हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : मैंने प्रधान मंत्री जी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया। अभी जो आपने नोटिस निकाला है उसमें वे सब एरिया पड़ते हैं जो बड़े लोगों के पास हैं। मैंने केवल बड़े लोगों का जिक्र किया है। (Interruptions)

श्री उपसभापति : ठीक है आपने कह दिया। सारी बात दोहराइये नहीं। बार-बार आप दोहरा रहे हैं। (Interruptions) श्री अश्विनी कुमार।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीय मंत्री जी ने अभी गांव की जो जमीन ले रहे हैं उसके आंकड़े दिये हैं। मेरे पास भी कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। 1959 से लेकर 1961 तक सरकार ने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 66 हजार एकड़ जमीन के ऊपर सेक्शन-4 का नोटिस दिया हुआ है। 20 साल बीत गये

[श्री अश्विनी कुमार]

हैं 1961 से अब 1981 आ रहा है। मेरी यह जानकारी है अभी तक 32 हजार एकड़ जमीन ली है और बाकी 34 हजार एकड़ जमीन वैसी ही पड़ी है। किसान भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। न वह ट्यूबवेल लगाते हैं और न ट्रैक्टर चलाते हैं। उनकी खेती की हानि हो रही है। उनको यह डर है कि किसी भी दिन यह ले ली जाएगी। मेरे को जो जानकारी है वह 34 हजार एकड़ जमीन की है। मंत्री जी इसको सही करने का प्रयास करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि फिर से साढ़े छः हजार, 10-12 हजार को सेक्शन चार का नोटिस देने की क्या आवश्यकता थी जबकि अभी तक पहली वाली जमीन पड़ी हुई है। दूसरी बात यह जानना चाहता हूँ जो जमीन ली गई है जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि मुआवजा के लिये कोई दर तय नहीं है। जो पिछली दरें दी गई हैं वह 25 पैसे से लेकर अधिकतम पाँच रुपये वर्ग गज की है। और पिछले दिनों दिल्ली में जो ओकेशन हुए उनमें कामशियल प्लॉट 50 हजार रुपये प्रति मीटर में बिके हैं। डी० डी० ए० के आंकड़ों के अनुसार 5 रु० गज जमीन लेकर 50 हजार रुपये गज के हिसाब से कामशियल प्लॉट बेचे गये हैं और जो रजिडें-शियल प्लॉट्स हैं उनके भाव लगभग दो हजार रुपये प्रति मीटर या गज हैं। जिस भाव पर ये चीजें बेची जा रही हैं और जिस भाव पर ये जमीनें पहले ली गई थी उनमें दुगुने से भी अधिक का अन्तर है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में जमीन किसानों से किस भाव पर ली गई और किस भाव पर अब उपभोक्ताओं को दी जा रही है? मैं समझता हूँ कि यह जो सारा अन्तर है, इसमें डी० डी० ए० प्रोफिटियरिंग कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर इतना बड़ा प्रोफिटियरिंग कोई आम आदमी करता जो उसको ब्लेक-मार्किटियर करार दिया जाता।

एक माननीय सदस्य : उसको नेशनल क्योरिटी आर्डिनेंस में बंद कर दिया जाता।

श्री अश्विनी कुमार : जी हाँ, उसको नेशनल सेक्योरिटी आर्डिनेंस में भी बन्द किया जा सकता है।

श्री मनुनाई धटेल : किसानों में 35 पैसे गज के भाव से जमीन ली गई है।

श्री अश्विनी कुमार : श्रीमन्, आप देखेंगे कि अधिक से अधिक 9 रु० गज में किसानों से जमीन ली गई है और उसी जमीन को कामशियल भाव पर 50 हजार रुपये गज के भाव से बेचा गया है। यह अन्तर कई हजार गुना ज्यादा है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहाँ दिल्ली में इस प्रकार का ओकेशन हो रहा है वहाँ 34 हजार एकड़ जमीन ऐसी ली गई है जिस पर डी० डी० ए० की एकटीविटी मिल है। उस पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप दिल्ली में लोगों को, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप और अन्य गरीब लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ तो डी० डी० ए० की एकटीविटीज इस जमीन पर बंद पड़ी हुई है दूसरी तरफ डी० डी० ए० बहुत तेजी से दाम बढ़ाता जा रहा है। जमीन और नकानों के दाम बढ़ाने का परिणाम यह हो रहा है कि एक गरीब आदमी अपना मकान होने का जो स्वप्न देखता था वह भी पूरा नहीं हो सकता है। दिल्ली में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि अब सरकार के पास इतनी जमीन विकास के लिए पड़ी हुई है तो दूसरी जमीनों को एकवाचर करने का क्या प्रश्न है? आपने किसानों को कम्पेंसेशन दिया है। मेरे ख्याल से दिल्ली में होटल विकास करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये के लगभग रखे गये हैं। आज स्थिति यह है कि जमीन के विकास के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं हो रहा है। किसानों से जो जमीन ली गई है

उसका डेवलपमेंट न करके उनके ऊपर एक तलवार लटका दी जाती है कि पता नहीं कब उनकी जमीन ले ली जाएगी। यह समस्या इतनी बड़ी है कि डी० डी० ए० की तरफ से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो यह हालत है दूसरी तरफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इनडोर स्टेडियम बनाने पर और दूसरी चीजें बनाने पर लाखों रुपया खर्च कर रहा है।

तीसरा प्रश्न मेरे मित्र ने गांवों में लाल-डोरे के बारे में उठाया है। दिल्ली के गांवों में चारों तरफ से लालडोरे की एक रेखा खींच दी गई है। गांवों के अन्दर कोई विकास नहीं हो रहा है। जो गांव दिल्ली से काफी दूरी पर हैं उनमें लालडोरे के अन्दर प्राइवेट बिल्डर्स मकान बना कर प्रोफिटियरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय से मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज तक कितनी जमीन एक्वायर हुई, उसमें से कितनी जमीन का डेवलपमेंट हुआ, कितने उसके ऊपर फ्लैट्स बनाये गये, कितनों पर डी० डी० ए० ने फ्लैट बनाने शुरू किये हैं और कितने फ्लैट्स बन करके जनता को दिये गये हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसा मेरे मित्र श्री मलिक जी ने कहा कि कुछ ऐसी बस्तियां हैं, पीथ लोकेलीटीज हैं जिनके बीच मैं गांव है उनमें कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इन गांवों में सीवर पब्लिक लाइटिंग्स और दूसरी सुविधाओं की पूर्ति करने का कोई आश्वासन सदन में 1446 RS—8

दग ! आज तक वहां पर कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं और इसका वर्णन अभी मेरे मित्र ने किया है। तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को जमीन ली जा रही है उन पर डी० डी० ए० फ्लैट्स बना कर लोगों को देता है, इसलिए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि फस्ट परफरेन्स फ्लैटों के आवंटन में उन लोगों को दिया जाएगा जो उस जमीन के ओनर्स थे?

श्री श्रीमान् नारायण सिंह : उपसभापति जी, माननीय सदस्य श्री अश्विनी कुमार जी ने यह कहा कि पिछले सालों में दिल्ली में 32 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हुई है। जो सूचना मुझे दी गई है उसमें यह बताया गया है कि 32 हजार नहीं, 45 हजार एकड़ जमीन ली गई है। आप जानते हैं कि दिल्ली में आबादी का दबाव बढ़ रहा है। इसलिए पहले मास्टर प्लान में यह सोचा गया था कि दिल्ली में इतनी आबादी बढ़ेगी और पिछले सालों में दिल्ली में आबादी बढ़ती रही है। इसके कुछ फीगर्स मेरे पास हैं। उनका अगर आप चाहें तो मैं दुबारा पढ़ देता हूँ।

श्री उपसभापति : दुबारा बढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीमान् नारायण सिंह : श्रीमान्, यह अनुमान लगाया गया है कि 2001 में दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 22 लाख तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर पहले से हम मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे, जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तो उस वक्त इस समस्या का निदान कैसे निकाल सकेंगे।

[श्रीधर नारायण सिंह]

जो हमारा अनुभव रहा है मास्टर प्लान का इस को भी आपको सोचना पड़ेगा। उस से यह सिद्ध है कि आबादी ज्यादा बढ़ती जा रही है इस कारण अभी जमीन एक्वायर करनी जरूरी है। दूसरी बात आपने कहा कि एक्वीजिशन के बाद जो किसानों को दाम दिये जाते हैं इससे ज्यादा दाम लिये जाते हैं। यह केवल जो ऑक्शन में अलॉट होते हैं, जो कमिश्नरल होते हैं उस में यह 2 प्रतिशत मुझे बताया गया है जो जमीन एक्वायर होती है 2 प्रतिशत ऑक्शन होता है और इस तरह के कमिश्नरल कामों में उसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो है उसमें सड़कें बनाकर, सीवर डाल कर और उसको डेवलप करके कन्वेंशनल रेट पर दिये जाते हैं। इस लिए इन सब बातों का जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है सरकार ध्यान रखती है और इन बातों को ही ध्यान में रख कर काम करती है।

श्री अश्विनी कुमार : आपने स्वयं कहा कि 45 हजार लिया है। मेरी जानकारी के अनुसार 1959-60 में 66 हजार के नोटिस दिये गये हैं और 21 साल के नोटिस अभी भी जमीन के हैं जो एक्वायर नहीं हुई है। पहले आप इसको एक्वायर कर लीजिए तीन साल धके हुए हैं। आप क्यों 13 हजार एकड़ और जमीन को क्यों फसा रहे हैं।

श्री श्रीधर नारायण सिंह : प्रोसेज में होगी।

श्री अश्विनी कुमार : आप जरा विचार कीजिए कि किसानों की क्या हालत है। बीस-इक्कीस साल से उनके सर पर तलवार लटकी हुई है और आप आगे भी लटकाने जा रहे हैं।

श्री श्रीधर नारायण सिंह : प्रोसेज में होगी। आपने कहा जमीन एक्वायर अभी मत कीजिए। डी० डी० ए०

की जो विल्डिना कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उस से आप वाकिफ होंगे ही। मकान बनाकर लोगों को देने की अलग-अलग स्कीमें हैं सल्फ फाइनेंशिंग स्कीम है, हुडको की स्कीम और भी है, जिसके अन्तर्गत मकान बना कर लोगों को दिए जा रहे हैं। अखबारों को इसकी फ़ियर भी आपने देखी होगी। हाल ही में ये फ़िगर्स डी० डी० ए० ने रीलिज की है जो इस अखबार में छपी है। लगभग 10 हजार फ्लैट्स रिलीज करने की बात उस में कही गयी है, इस लिए इस तरह हम मुखानिव है।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उप-सभापति महोदय, दिल्ली का विकास हो, मुन्दर ढंग से प्लान्ड रूप में हो, यह हम सब की कामना है। मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि मास्टर प्लान है, मेरा कहना है कि सुपर मास्टर प्लान आप बनायें। दिल्ली सामूली जगह नहीं है। हस्तिनापुर से लेकर आज तक इसका अपना इतिहास रहा है। लेकिन जब में दिल्ली की स्थिति पर गौर करता हू तो पाता हू कि दुनिया के और मुल्कों की राजधानियों के मुकाबले में दिल्ली बहुत पीछे है। मैं मास्को, नन्दन, जापान, वाशिंगटन आदि जगहों पर घूमा हू, परन्तु जब दिल्ली को मैं उनके मुकाबले देखता हू तो मुझे बहुत दुःख होता है। दिल्ली का विकास शानदार ढंग से नहीं हो रहा है। मास्टर प्लान इसके लिए बनाया गया लेकिन उससे कोई प्रगति नहीं हुई। खास तौर पर जब पुरानी दिल्ली को देखते हैं और उस की हालत पर गौर करते हैं तो सर झुक जाता है। पुरानी दिल्ली क्या है। पुरानी दिल्ली जो है वहां मन्दगी का राज है। बादशाह शाहजहाँ अगर आज वापस आ जायें तो उसे वह अपने समय की दिल्ली लगेगी वही जामा मस्जिद है, वही शीश गंज है और वही मन्दगी भरी

हुई है, वही मच्छर मछियां वहां है । मंत्री जी याद कर लें कि अभी कुछ राज-नैतिक कार्यकर्ताओं ने एक आन्दोलन शुरू किया था, पूर्ण मुक्ति आन्दोलन, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कोठी पर हमला हुआ था । तो यह जो आन्दोलन हुआ था । आपको शायद पता है कि नहीं कि यह किस हालत में हुआ । इतने बड़े-बड़े फार्म वहां हैं, श्री राम जी की जमीन है, अगल-वगल . . .

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पूछिये यह सब हो गया ।

श्री शिव चन्द्र झा : इस लिए सरकार दिल्ली के विकास के लिए पूरे तौर पर वह जमीन ले और जो विकास होना है उसको ठीक ढंग से करें और यदि जरूरत हो तो अगल-वगल की जो जमीन है उसको भी ले ले, मैं इस से सहमत हूं । लेकिन इसमें बातें दो आ जाती हैं । अरबन की जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसके अगल-वगल की जमीन जो ले लेते हैं, रूरल एरिया की, तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए । ये दोनों इंटर-रिलेटेड हैं । आप दिल्ली के विकास के नाम पर अगल-वगल के गांवों की जो जमीन हैं उसको ले लेते हैं और उसको आप कम्पनसेशन भी दे देते हैं । पर इतने से ही काम नहीं चलता और यही आप की योजना की त्रुटि होती है । अरबन को आप प्लानिंग करते हैं लेकिन वगल में जो रूरल एरियाज हैं उसको लेकर आप योजना नहीं बनाते हैं जिससे यह एक वन साइडेड जिसको इम्बेलेस्ड डेवलपमेंट कहते हैं हो जाता है । इसलि सवाल आता है कि

जो जमीन आप अक्वार करते हैं, जिन गांव से आप जमीन लेंगे, ठीक है आप कम्पनसेशन देंगे लेकिन वहां के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए पैसे देने से ही काम नहीं चलेगा वे लोग जहां बसते हैं उनके लिए कोई माडल विलेज की योजना बनाई जानी चाहिए । यह कह देना कि लेटरिन का इंतजाम होगा, सिर्फ इससे ही काम नहीं होता है और भी सभी बातें हैं जैसे सड़कें हैं, दवा, हास्पिटल, डिस्पेंसरीज, स्कूल हैं, यह सुविधाएं भी होनी चाहिए । जिन गांवों की जमीन आप ले रहे हैं उन गांवों को भी प्लांड रूप में माडल विलेज बनाने की कोई योजना आप रखते हैं । सिर्फ कम्पनसेशन ही नहीं जैसे की मैंने कहा यदि आप माडल विलेज बनाएं तो यह सोने में सुगंध होगा । क्या आप के पास अगल-वगल के गांवों को माडल विलेज बनाने की योजना है या नहीं ? अब रही कम्पनसेशन की बात । आप कम्पनसेशन देंगे लेकिन यह सब धन्धा हम लोगों ने बिहार में किया है और करते रहे हैं । नहर बनाने के लिए जमीन एक्वायर करके कम्पनसेशन दिया जाता था । इसमें सिर्फ जमीन लेने की बात ही नहीं उसके लिए तो आप कम्पनसेशन देंगे ही, मुआवजा देंगे ही, लेकिन उस जमीन पर जो पेड़ हैं, फल हैं, उसको भी आप इनक्लूड कर रहे हैं या नहीं । क्योंकि उसमें यह बात रहती है कि जमीन के अलावा . . . (Interruptions) जमीन आप जिस रेट पर लेते हैं, और रुपये का मूल्य जिस रूप में कम हो रहा है 1980 में जो उसकी अप-टु-डेट वेल्यू है वह बढ़ी है इसलिए आप इसको भी कम्पनसेशन देते समय ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं ? मेरा तीसरा सवाल यह है . . .

श्री उपसभापति : आप तो दोहरा रहे हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : कहां दोहरा रहा हूं । क्या किसी ने माडल विलेज का कहा है ? मैं पेड़ और फलों के कम्पनसेशन की बात कहता हूँ, क्या किसी ने कहा है ? क्या किसी ने यह बात उठाई है ?

श्री उपसभापति : चीजें तो कम्पनसेशन में ही शरीक होती हैं । यह तो साधारण-सा कानून है इसमें क्या पूछना ? अच्छा अगला सवाल पूछिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : बस हो गया अब क्या पूछेंगे ।

श्री उपसभापति : नहीं अभी कोई सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : नहीं अब नहीं पूछना है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर श्री शिव चन्द्र झा जी हम लोगों के बड़े मित्र हैं और गांव से आते हैं । इसलिए गांव के लिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक है । हमें लैंड एक्विजिशन वर्गैरह के बारे में लोगों की सहायता की है, उनको इस बारे में काफी तजरबा होगा । जब लैंड एक्विजिशन होता है तो जिन बातों की पेड़ वर्गैरह की चर्चा वे कर रहे थे उसमें सब बातें आ जाती हैं । इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही कलक्टर मुआवजा फिक्स करना है ।

श्री शिवचन्द्र झा : उपसभापति महोदय जरा मुनिये । ऐसा नहीं होता है । जमीन के दाम हैं लेकिन पेड़, फल वर्गैरह का अलग हिसाब होता है ...

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य जी ने जो माडल विलेज की

बात कही है । लैंड एक्वायर हो जाए, आल्टरनेटिव व्यवस्था है या नहीं या फिर माडल विलेज बने यह इनके सुन्दर मुझाव हैं । यह मुझाव कार्यवाही के लिए हैं, मैंने नोट कर लिए हैं ।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह तो बिलकुल सच्ची बात है कि हमारी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जिसमें हमने बार-बार वायदा किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के साथ-साथ रहने को घर देंगे और हमारी यह परेशानी कि अबाम के लिए, गरीबों के लिए कितने घर बन रहे हैं, और क्या इंतजाम हो रहा है यह बिलकुल जायज है ।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिये ।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह : मैं सवाल भी पूछूंगी । क्योंकि सवाल अभी यह आ जाता है परेशानी हमारे विरोधी दलों की ओर से पेश हो रही थी । आप कहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम दो । अभी मंत्री जी ने बताया कि तीन हजार एकड़ जमीन के लिए किसानों को साढ़े सात करोड़ रुपये दिए गए हैं । अगर इतने दाम देंगे तो फिर रेट बढ़ जाएगा और उसी तरह से फिर कायम हो जाएगा । इसलिए मैं तो समझती हूँ यह जो बात हो रही है यह तो इनके हंगामा करने की आदत हो गई है । ऐसा लगता है कि—

“हंगामे में मौकुफ है घर की रौनक, नाला-ए-गम ही सही, नगमा-ए-शादी न सही ।”

हंगामा करना है, ठीक है, जायज है मगर अभी जो बताया गया कि कर्मशियल स्कीमों से हुई आमदनी को आप ने वेलफेयर स्कीमों पर खर्च किया तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो आमदनी आप को हो रही है ये जो केयर स्कीम्स दिखाई दे रही हैं ये उसके मुकाबले में इतनी कम हैं कि इसी वजह से हमें ज्यादा परेशानी होती है। आपके प्लान में जरूर 46 हजार घर इस साल हैं जिसमें 32 हजार बन चुके हैं मगर उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 32 हजार घरों से हमारा कितना भला होगा, कितनी हमारी लाखों की जरूरत है आप 32 हजार घर बना देंगे तो क्या होगा। आपके प्लान तो इतनी तेजी से होने चाहिए जैसे अभी किसी भाई ने वहां से कहा कि मास्को में देखकर आये हैं। मैं यही देख रही हूँ 15-20 साल से मुझे जब मास्को में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहां लाखों की तादाद में घर बनते चले जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहूंगी कि जो प्लान आपका है वह ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा रुपया बनाइये पूंजीपतियों से और खर्च कीजिए इस वेलफेयर स्कीम के ऊपर, मगर आपका मूवमेंट बहुत स्लो क्यों है। उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीन बेल्ट्स आपने बनाये हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मगर जो कुछ किया है वह हमारी जरूरत के मुकाबले में बहुत कम है। हमें ग्रीन बेल्ट्स को बहुत बढ़ाना है लोगों के सांस लेने की जगह होनी चाहिए। हमें घर भी ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं और आखिरी वान मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो वहां से हुई है कि जहां पर ये घर बन रहे हैं वहां बहुत पक्का इतजाम सीवर लाईन और पानी का करना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस वान को कमीटर करेंगे कि आपका जो काम है अभी वह बहुत स्लो मूवमेंट में है उसमें आप चार

गुना, पांच गुना तेजी लायेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे।

श्री उपसभापति : तेजी से होगा, माननीय मंत्री जी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सम्मानीय सदस्या का मैं बड़ा आभारी हूँ कि दिल्ली का विकास वे बिल्कुल मुनियोजित ढंग से चाहती हैं। सरकार की भी यही मंशा है कि दिल्ली का विकास मुनियोजित ढंग से हो और तेजी से हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो मुझाव उन्होंने दिये हैं, फार एक्शन मैंने उनको नोट कर लिया है और सरकार तो वचनबद्ध है कि दिल्ली का विकास मुनियोजित हो और दिल्ली दुनिया के अच्छे से अच्छे शहरों में गिना जाये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी मोठा जवाब देते हैं।

श्री उपसभापति : शाही जी बैठिये, नन्दा जी।

एक माननीय सदस्य : बहुत मोठा बोलते हैं।

श्री नरसिंह प्रसाद नन्दा (उड़ीसा) : मुझे तो प्रश्न करने दीजिए।

श्री उपसभापति : श्री नन्दा जी का प्रश्न करने दीजिए।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, the statement of the *hon.* Minister reveals that the projected population of Delhi will be 122 lakhs in 2001 A.D. and, therefore, there is need for a second development Plan. Now this raises a very basic question regarding the approach of this Government to cities and concentration of population in cities. From the original estimate of 45 lakhs, this city has now a population of about 58 lakhs and is likely to touch 122 lakhs in the year 2001 A.D. Now, what is the basic

[Shri Nai'asingha Prasad Nanda]

policy of the Government regarding concentration of population? Suppose all the people would like to urbanise themselves and would like to live in cities because cities have their own advantages. The question is, therefore whether this Government has any formulation, any basic thinking some ceiling for the city of Delhi and diverting the people to other neighbouring localities and lopping those areas also as cities, where there" can be industrial growth, where there can be other facilities which are available in Delhi, so that there is not this concentration of population, because concentration of population also creates its own problems. I do not want to elaborate this point. I just want to know whether the Government has any basic thinking on this issue. Secondly, what is most 1 p.m. painful is of certain lands were covered by the notice under Section 4 of the Land Acquisition Act, and, as alleged by one of the honourable Members, 32,000 acres of those lands have not been properly acquired as required under the Land Acquisition Act, what is the point in issuing notices under Section 44 now and keeping all these lands and owners of these lands under the Democle's Sword? Will the honourable Minister take personal interest in the matter and inquire into it and see why it has taken more than twenty years not to bring them within the purview of the Land Acquisition Act and why they have not been properly acquired?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Notification was issued.

SHRI NARASINGHA PRASAD
(NANDA: It was not answered properly. Then thirdly, this question came up in the Question Hour also, they are goin^g in for a second development pin: f tell you that this DDA Act *was* passed in the year 1957 and we ar. now in the year of

the Lord 1980; in spite of the fact that more than twenty-three years have elapsed, the DDA has not formulated any rules for settlement of land, for various matters the DDA framed various kinds' of rules, but for settlement pi land the DDA has not framed the rules. This thing might not have been brought to the notice of the honourable Minister. I am bringing this to his notice now. The Committee on Subordinate Legislation also in one of its reports made this point very clear that rules have not been framed and therefore when rules are not made, most of the things are being done under executive direction. Will the Minister therefore ensure that these rules are framed expeditiously and are also laid on the Tables of both Houses of Parliament?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I appreciate the anxiety of the honourable Shri Nanda. Our approach is very clear. I have said in the course of my statement when I was replying to Mr. Malik, we not only acquire land for those who want land here, but for relieving the pressun population on Deliai we are trying to divert also. I have, said in my statement and I shall read it out again for the kind information' of the honourable Member: 'Although there is an attempt to decentralise some of the activities to the small and medium towns in the adjoining States of Haryana, UP and Rajasthan., considerable population pressure would however, continue to be fell in Delhi." This is what I have said. So we are trying for that also equally.

So far as framing of rules is concerned, I will check up the matter. I have said in the Question Hour also, this is the practice always, when some rules are framed, they are laid on the Tables of both Houses Parliament. So I will have to find out whether rules have been framed or not, and if they are framed but not laid in the House, I shall arrange for that. I will have to look into the matter as to what the position is.